जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

V-208
6/12/2023

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 4259 दिनांक 19/10/23

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्रं. सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	चक गैटोर तह. सांगानेर	शंकर भवन गृ.नि.स. समिति	दुर्गेश नगर	279 563/280 561/280 562/280 ——— किता 4	0.06 0.40 0.85 0.05 ——— कुल रकबा 1.36 हैक्टे0	1. गणेश पुत्र गोविन्दा हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 2. चन्दी पत्नि भौरा हिस्सा– 1/8 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 3. पांचूराम पुत्र गोविन्दा हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 5. लालाराम पुत्र गोविन्दा हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार, 1. कल्याण पुत्र गोपाल हिस्सा– 1/8 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 2. गणेश पुत्र गोविन्दा हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 3. गोपाल पुत्र झूंथाराम हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 4. चन्दी पत्नि भौरा हिस्सा– 1/8 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 5. जगदीश पुत्र सीताराम हिस्सा– 1/32 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 6. दामा पुत्र नानगा हिस्सा– 1/8 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 7. नेनूराम पुत्र बिरदा हिस्सा– 1/16 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 8. प्रभूनारायण पुत्र रामचन्द्र हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 9. पांचूराम पुत्र गोविन्दा हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 10. फूला पुत्र सीताराम हिस्सा– 1/32 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 11. बबलू पुत्र प्रताप हिस्सा– 1/16 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 12. भौरीलाल पुत्र मंगला हिस्सा– 1/16 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 13. महादेव पुत्र बिरदा हिस्सा– 1/16 जाति– मीणा सा.

						देह खातेदार 14. मोहन पुत्र रामचन्द्र हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 15. राजू पुत्र श्रवण हिस्सा– 1/32 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 16. रामकिशोर पुत्र झूंथाराम हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 17. रामधन पुत्र नोन्दा हिस्सा– 1/32 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 18. रामलाल पुत्र झूंथाराम हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 19. रामसुवार पुत्र प्रताप हिस्सा– 1/16 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 20. लालाराम पुत्र गोविन्दा हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 21. शंकर पुत्र रामचन्द्र हिस्सा– 1/48 जाति– मीणा सा. देह खातेदार,

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19/10/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–9

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा

9928817240

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा./जोन–12/2023/डी– 9889 दिनांक 6.12.23

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी की योजना निर्वाणा सिटी ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण को जविप्रा की बीपीसी–एलपी की 341वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में रखा गया, जिसमें लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार संशोधित मानचित्र में पूर्व में संशोधित मानचित्र की तुलना में कुछ भूखण्डों के क्षेत्रफल व सडक/सुविधा क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन किया गया है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व संशोधित मानचित्र अनुसार भूखण्डों की सूची मय क्षेत्रफल के आम सूचना प्रकाशित करवाई जाने हेतु निर्देशित किया गया है सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त अनुमोदन भूमि बाबत् यदि किसी भूखण्डधारी को संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन–12 कार्यालय में 03 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत करे उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी। कृपया सूचित रहे।

अतः योजना के भूखण्ड संख्या की सूची सलंग्न कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :– सूची

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2023/डी– 9889
दिनांक 6.12.23

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2023/डी– 2333 | दिनांक 5-12-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मंजूलता गुप्ता पत्नी श्री रमेश चन्द अग्रवाल	श्री आर.सी. अग्रवाल पुत्र श्री केशव देव	सी–29	266.66 व.ग.	जयपुर मेटल हा.को. सो.	मेटल कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण–पत्र, रजिस्टर्ड वसीयत इत्यादि

उपायुक्त जोन–2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555